न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज

स्वत्व वाद सं0–144/2022

चंद्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

DATE	ORDER	REMARKS
18.08.2023	उभय पक्षों की ओर से पैरवी है। आज अभिलेख वादी की ओर से दिये गये आवेदन दिनांक 21.01.2023 के आदेश हेतु नियत है। वादी की ओर से दिनांक 21.01.2023 को आदेश 39 नियम 01 एवं 02 व्यवहार प्रक्रिया संहिता के अतंर्गत निषेधाज्ञा आवेदन दिया गया है। **आदेश (ORDER)** वादी के द्वारा दाखिल निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 21.01.2023 में कहा गया है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा स्पेस्फिक परफौरमेंस ऑफ कान्ट्रैकट की डिक्री के लिए लाया गया है। वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–01 से 01 बीगहा 13 धुर भूमि का महादानामा दिनांक 15.06.2015 को लिखाया गया। महादानामा वाली कुल भूमि की कीमत 24 लाख रूपये वादी को चुकानी थी। इसमें से वादी के द्वारा प्रतिवादी सं0–01 को अब तक 15 लाख रूपया भुगतान किया जा चुका है तथा अब सिर्फ 09 लाख रूपये का भुगतात शेष है। वादी ने कई बार प्रतिवादी सं0–01 से बाकी जरसमन का रूपया लेकर महादानामा की शर्तो के अनुकूल बयनामा तहरीर तामील करने को कहा परंतु प्रतिवादी सं0–01 लगातार टाल–मटोल करते रहे तथा इसी दौरान वादी को पता चला कि प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा वादी के महादानामा वाली भूमि के अंश भाग के निस्वत 03 किता बयनामा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में लिख दिये है। वादी के द्वारा दाखिल वादपत्र को भी आवेदन का अंश माना जाय। महादानामा दिनांक 15.06.2015 के आधार पर प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा दखल कब्जा भी दिया जा चुका है तथा वादी वादग्रस्त भूमि के दखल कब्जें में है। प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में जो 03 किता बयनामा लिखा गया है उस आधार पर प्रतिवादी द्वितीय पक्ष वादी के दखल कब्जें में चली आ रही महादा वाली भूमि के अंश भाग पर हस्तक्षेप कर रहे है तथा वादी को बेदखल कर देने को आमादा है।	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–144/2022

चंद्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2023	प्रतिवादीगण उदण्ड एवं दबंग लोग है तथा दबंगता के कारण ही वादी के महादानामा की जानकारी के बावजूद गलत बयनामा लिखाकर वादी की भूमि को हडपने पर आमादा है। प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को वादग्रस्त भूमि की वर्तमान यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया जाना लाजमी है अन्यथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष बयदौरान मुकदमा वाली भूमि की वर्तमान वस्तु स्थिति को परिवर्तित कर देगें जिससे वाद में कई प्रकार की उलझन उत्पन्न होगी तथा वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। दिनांक 20.11.2022 को प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के द्वारा असामाजिक तत्वों के साथ वादी के दखल कब्जें वाली वादग्रस्त भूमि पर चढकर गलत कार्यवाही की जाने लगी। जिसकी सूचना वादी के द्वारा स्थानीय थाना शिकारपुर को दिया गया तथा दफा 107 तथा दफा 144 दण्ड प्रक्रिया संहिता की कार्यवाही प्रारंभ की गयी। वादग्रस्त भूमि पर गंभीर तनाव की स्थिति है। वादग्रस्त भूमि मुकदमा के दौरान विद्वान न्यायालय के अभिरक्षा में मानी जाती है। लेहाजा वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति को परिवर्तित करने की छूट प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को नही दी जा सकती है। वादी के पक्ष में प्रथम दृष्टया मजबूत वाद है। सुविधा की तुला भी वादी के पक्ष में है तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को वादग्रस्त भूमि की वस्तुस्थिति को परिवर्तित करने से यदि नही रोका गया तो वादी को अपूर्णीय क्षति होगी। अतः श्रीमान् से प्रार्थना है कि वादी का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार करते हुए प्रतिवादी द्वितीय पक्ष को मद न0–क आवेदन (मद न0–01 वादपत्र) की भूमि पर यथास्थिति कायम रखने का आदेश न्यायहित में देने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–02 ता 04 की ओर से दिनांक 12.04.2023 को वादी के निषेधाज्ञा आवेदन का प्रत्युत्तर दाखिल किया गया जिसमें कहा गया कि वादी के वादपत्र के अवलोकन से विदित होता है कि वादी के द्वारा स्थायी या अस्थायी निषेधाज्ञा द्वारा अनुतोष की मांग नही किया गया	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–144/2022</u>

चंद्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2023	है। कानून का सिद्धांत है कि वादी अगर स्थायी निषेधाज्ञा के अनुतोष की मांग नही किया है तो अस्थायी या अंतरिम आदेश या यथास्थिति का आदेश पाने का अधिकारी नही होगा। ऐसी परिस्थिति में वादी का आवेदन खारिज योग्य है। वादी सही तथ्यों को छिपाकर क्लीन हैण्ड के साथ वाद दाखिल नही किया है। अतः वादी का वाद प्रथम दृष्टया वाद नही माना जा सकता। प्रतिवादी सं0–02 ता 04 को सिर्फ खाता 134 खेसरा 265 रकबा 01 कट्ठा 07 धुर से ही सरोकार है, जिस पर वैध बयदार के साथ दखल कब्जें में चले आ रहे है। वादी खाता 134 खेसरा 265 रकबा 01 कट्ठा 07 धुर भूमि के दखल कब्जें में नही है। अतः वादी को अपूर्णीय क्षति होने का कोई प्रश्न ही नही पैदा होता है। प्रतिवादी सं0–02 ता 04 प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा निष्पादित निंबधित बयनामा दिनांक 29.07.2022 के आधार पर वैध बयदार की हैसियत से दखल कब्जें में चले आ रहे है। जो वादी का स्वीकृत तथ्य है तो ऐसी परिस्थिति में तुला का संतुलन प्रतिवादी सं0–02 ता 04 के पक्ष में है। अतः वादी का आवेदन खारिज करने की कृपा करें। प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा दिनांक 10.07.2023 को एक आवेदन दाखिल कर निवेदन किया कि प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा बयान तहरीरी दाखिल किया गया है। बयान तहरीरी को ही प्रतिवादी सं0–01 का कारण–पृच्छा मान लिया जाय। जबकि प्रतिवादी सं0–01 दिनांक 08.06.2023 के आदेशानुसार बयान तहरीरी दाखिल करने से वंचित किये गये है। अभी दिनांक 08.06.2023 के आदेश को वापस लेकर प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा दाखिल बयान तहरीरी को ग्रहण नही किया गया है। वादी के द्वारा निषेधाज्ञा आवेदन में अनुतोष भी प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के विरूद्ध मांगा गया है। उभय पक्षों के विद्वान अधिवक्तागण को सुना गया। अभिलेख का अवलोकन किया। अभिलेख अवलोकन से	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–144/2022</u>

चंद्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2023	विदित होता है कि प्रस्तुत वाद वादी के द्वारा संविदा के विनिर्दिष्ट अनुपालन, तथा प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा निबंधित बयनामा क्रमांक 11394 बहक रामाधार राय बयनामा क्रमांक 11396 बहक राजेश एवं बयनामा क्रमांक 11406 बहक अजय महतो नविस्ते रघुवंश नारायण सिंह दिनांक 29.07.2022 को गलत गैर कानूनी बेलाहकियत निष्प्रभावी एवं शुन्य घोषित कराने हेतु दाखिल किया गया है। किसी भी निषेधाज्ञा आवेदन पर आदेश करने से पूर्व यह देखना होता है कि प्रथम दृष्टया वाद किसके पक्ष में है तथा सुविधा का संतुलन किस ओर है एवं यदि आवेदक का निषेधाज्ञा आवेदन स्वीकार नही किया जाता है तो इससे आवेदक को अपूर्णीय क्षति होगी अथवा नही तथा पक्षकारों का आचरण कैसा है ? वादी एवं प्रतिवादी प्रथम पक्ष दोनों सहोदर भाई है। वादी के अनुसार प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा अपने हिस्से वाली एराजी अपनी लडकी की शादी में खर्च के लिए बेचने का ऐलान किया तथा वादी ने उक्त भूमि को खरीदने की बात प्रतिवादी प्रथम पक्ष से 01 बीगहा 13 धुर भूमि के निस्वत किया तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा उक्त भूमि 24 लाख रूपये में बेचना तय किया गया। वादी के पास उस समय तय जरसमन का पूरा रूपया तथा रजिस्ट्री का खर्च का प्रबंध नही था। प्रतिवादी प्रथम पक्ष को तत्काल खर्च के लिए 03 लाख रूपये की जरूरत थी। प्रतिवादी प्रथम पक्ष के द्वारा वादी से आग्रह किया गया कि वादी तत्काल प्रतिवादी प्रथम पक्ष को 03 लाख रूपया नगद भुगतान कर दे ताकि प्रतिवादी प्रथम पक्ष तत्कालिक जरूरत पूरा कर सके तथा सबूत में एक अनिबंधित महादानामा प्रतिवादी प्रथम पक्ष से लिखा ले। दिनांक 15.06.2015 को वादी ने प्रतिवादी प्रथम पक्ष को 03 लाख रूपया नगद भुगतान कर दिया तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष ने पूर्व में तय मुताबित 01 बीगहा 13 धुर भूमि का महादानामा तय कराया तथा महादानामा पढकर सुन समझकर तथा दस्तावेज	

न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज
स्वत्व वाद सं0–144/2022

चंद्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2023	के मजबुन को सही पाकर प्रतिवादी सं0–01 के द्वारा महादानामा पर अपना हस्ताक्षर बनाया गया तथा गवाहों का भी हस्ताक्षर कराया गया तथा कातिब द्वारा भी अपना हस्ताक्षर किया गया। महादानामा से पूर्व भी महादानामा वाली भूमि वादी के ही जोत–आबाद में थी तथा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को फसल बांट कर दिया जाता था। वादी के द्व ारा प्रतिवादी प्रथम पक्ष को दिगर दिगर तिथियों में पंजाब नेशनल बैंक शिकारपुर नरकटियागंज शाखा के चेक सं0–250299 दिनांक 22.09.2015 से 02 लाख रूपया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरकटियागंज शाखा के चेक सं0–485311 दिनांक 09.10.2015 से 03 लाख रूपया, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरकटियागंज शाखा के चेक सं0–485313 दिनांक 16.11.2015 से 75 हजार रूपया, पंजाब नेशनल बैंक नरकटियागंज के चेक सं0–250300 दिनांक 23.11.2015 से 55 हजार रूपया, दिनांक 23.11.2015 को 70 हजार रूपया नगद, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरकटियागंज शाखा के चेक सं0–485315 दिनांक 16.12.2015 से 03 लाख रूपया, दिनांक 15.07.2016 को 01 लाख रूपया नगद तथा स्टेट बैंक ऑफ इंडिया नरकटियागंज शाखा के चेक सं0–507889 दिनांक 29.12.2016 से 01 लाख रूपया प्रतिवादी प्रथम पक्ष को भुगतान किया, कुल जरसमन में 15 लाख रूपये भुगतान किये जा चुके है तथा 09 लाख रूपये भुगतान करने को वादी तैयार है। वादी वादग्रस्त भूमि पर जोत–आबाद कर रहा है तथा प्रतिवादी द्वितीय पक्ष के पक्ष में महादानामा के लिखे जाने के बाद निबंधित विक्रय विलेख लिखा गया है। अतः प्रथम दृष्टया वाद वादी की ओर जाता हुआ प्रतीत होता है। अधिवक्ता आयुक्त के प्रतिवेदन दिनांक 12.06.2023 के अनुसार वादग्रस्त भूमि पर 01 हजार ईंट का टुकडा तथा बालु रखा हुआ पाया गया है। जिससे वादग्रस्त भूमि पर नये निर्माण किये जाने की आशंका उत्पन्न होती है। जबकि वाद लंबन	

<u>न्यायालय–नीरज कुमार त्यागी, अवर न्यायाधीश (प्रथम), नरकटियागंज</u>

<u>स्वत्व वाद सं0–144/2022</u>

चंद्रवंश नारायण सिंह.....वादी

बनाम

रघुवंश नारायण सिंह एवं अन्य.....प्रतिवादीगण

लगातार 18.08.2023	के दौरान वादग्रस्त भूमि का संरक्षक न्यायालय होता है तथा न्यायालय का यह परम कर्तव्य है कि वाद लंबन के दौरान वादग्रस्त भूमि की सुरक्षा करें तथा वाद लंबन के दौरान उभय पक्षों में वादग्रस्त भूमि को लेकर कोई झगडा–झंझट उत्पन्न न हो। अतः वाद लंबन के दौरान न्यायालय के आगामी आदेश तक उभय पक्ष वादग्रस्त भूमि पर यथा स्थिति (Status quo) बनाये रखेंगें। अतः वादी का निषेधाज्ञा आवेदन दिनांक 21.01.2023 को निस्तारित किया जाता है। उक्त आदेश में किया गया विनिश्चयन वाद के अंतिम न्याय निर्णयन को प्रभावित नही करेगा। उभय पक्षों को निर्देश दिया जाता है कि वाद के शीघ्र निष्पादन हेतु न्यायालय का सहयोग करें। वाद दिनांक 11.09.2023 को अग्रिम कार्यवाही हेतु नियत। लेखापित अवर न्यायाधीश, प्रथम नरकटियागंज	